**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1446**

**01 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए**

**अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क अवसंरचना**

**1446. श्री ए. विजयकुमार:**

 क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ सड़क अवसंरचना की अत्यावश्यकता के प्रति सचेत है;

(ख) क्या सरकार यह बताएगी कि विगत तीन वर्षों के दौरान कितने किलोमीटर लंबी सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किए जाने का अनुमान था तथा वास्तव में कितने किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया;

(ग) क्या निकट भविष्य में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): जी, हां।

(ख): सेना की आपरेशनल आवश्यकता के अनुसार, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा 22,803 कि.मी. लम्बाई की 530 सड़कों को निर्माण/सुधार के लिए चिन्हित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, श्रेणी-9 के समकक्ष 3702 कि.मी. की फारमेशन कटिंग, श्रेणी-9 के समकक्ष 6296 कि.मी. की सरफेसिंग, 3558 करोड़ रुपए के स्थाई निर्माण और 6088 मीटर लम्बाई के बड़े पुलों का निर्माण किया गया है।

….2/-

-2-

(ग) और (घ): सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन की गति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

 (i) भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों ने शक्ति प्राप्त समिति गठित की है।

(ii) बीआरओ की क्षमता बढ़ाने के लिए आउटसोर्सिंग की अनुमति दी गई है।

(iii) बीआरओ के अधिकारियों को वर्धित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं।

\*\*\*\*\*